तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	यह पत्रावली [illegible] कोर्ट जोधपुर से [illegible] [illegible] ...र [illegible] ...र [illegible] ...ली [illegible] [illegible] 23/07/24 को पेश हो।
23/7/24	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में अब कोई अन्य कार्यवाही नहीं होने के [illegible] [illegible] लेकर पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 01/8/24 को पेश हो।
01/8/24	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में अब कोई अन्य कार्यवाही नहीं होने के [illegible] [illegible] लेकर पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक........ 13/8/24 को पेश हो।
13/08/24	पत्रावली पेश। वकुलाय उप.। अप्रार्थी सं. 04 के अलावा अन्य अप्रार्थीगणों की तलबी report पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अधि. प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी सं. 04 ही main contested party है, जिससे अनुतोष चाहा गया है, अतः उभयपक्ष बहस सुनकर प्रा. पत्र का निस्तारण किया जावे। उभयपक्ष बहस सुनी गई। वास्ते आदेश प्रा. पत्र पत्रावली दिनांक 28/08/24 को पेश हो। Prince सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर
28/08/24	पत्रावली पेश। उभयपक्ष बहस पर मनन किया गया। मुताबिक बहस अधि. प्रार्थी - " ग्राम पुंदला ख. सं. 335 (13-19 बीघा) भूमि प्रार्थिनी एवं अप्रार्थी सं. 01,02,03,05 की पुश्तैनी सहखातेदारी भूमि है। यह भूमि

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अणदाराम की स्व- अर्जित भूमि नहीं है। अप्रार्थी सं: 04 द्वारा जरिए आम मुख्तयारनामा बैयनामा करवा कर mutation अपने नाम दर्ज करवा लिया गया है। अणदाराम केवल अपने हिस्से तक की भूमि का हस्तांतरण कर सकता था अत: बैयनामा शून्य है। अप्रार्थी सं: 04 वर्तमान में प्रार्थिनी को उसके कब्जा - काश्त से बेदखल करने पर उतारू है। अतः अप्रार्थी सं: 04 को revenue record एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जावे।"

मुताबिक बहस अधि· अप्रार्थी-" अणदाराम के जीवनकाल में उसके पुत्र-पुत्रियों को कोई अधिकार अर्जित नहीं हुए है। मांगीलाल के देहांत पश्चात उनके पुत्र अणदाराम को 1/7 हि· में अधिकार अर्जित हुए। अणदाराम ने अपने पुत्र के विवाह के लिए अप्रार्थी सं: 04 से ₹ 1,50,000/- उधार लिये थे, जिसके बदले में विवादित भूमि अप्रार्थी सं: 04 को अंतरण की गई। प्रार्थिनी द्वारा अपने दादा व पिता के साथ काश्त करने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। अतः प्रा· पत्र खारिज फरमाया जावे।

उपरोक्त बहस, तथ्यों, दस्तावेजों के आधार पर प्रा· पत्र का निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है- " प्रार्थिनी द्वारा अपने प्रा· पत्र में आममुख्तयारनामा, बैयनामा का हवाला दिया गया है, किंतु उपरोक्त दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं हैं। ~~यदि~~ 2 प्रार्थिनी के द्वारा 07 वर्ष की अवधि बीत जाने के उपरांत प्रा· पत्र पेश करने के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	संबंध में भी कोई तथ्य पेश नही है विवादित संपत्ति coparceury है अथवा succession से governed है, के संबंध में clarity नहीं है, उपरोक्त के अभाव में प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति प्रार्थिनी के पक्ष में साबित नहीं होते हैं। प्रा. पत्र अस्वीकार किया जाता है। आदेश पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली फैसल- शुमार होकर दाखिल- दफ्तर हो	

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर